

Date Bound

Immediate

Urgent

प्रेषक

निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकुला।

सेवा मे

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,
फरीदाबाद, पलवल, गुडगांव व कुरुक्षेत्र

यादी क्रमांक kw 1/57-2006 एम0डी0एम0 (3)
दिनांक, पंचकुला 19-3-2016

विषय: मिड डे मील स्कीम के विद्यालयो मे मिड डे मील तैयार करने बारे।

-0-

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ मे।

भारत सरकार द्वारा मिड डे मील नियम-2015 की अधिसूचना के आधार पर फरीदाबाद, गुडगांव, पलवल व कुरुक्षेत्र जिलो मे विद्यालयो मे ही मिड डे मील बनवाने बारे विचार किया जा रहा है। मिड डे मील नियम-2015 के नियम 7 (2) के अन्तर्गत निम्न प्रावधान है:-

" स्कूल का प्रधानाध्यापक अथवा प्रधानाध्यापिका को सशक्त अधिकार होगा कि वह स्कूल मे खद्यान्न, पकाने की लागत आदि अस्थाई तौर पर उपलब्ध न होने के मामले मे मध्याह्न भोजन स्कीम जारी रखने के प्रयोजन के लिए स्कूल मे उपलब्ध निधि का उपयोग करे। मध्याह्न भोजन के लिए निधियां प्राप्ति होने ही तत्काल स्कूल के खाते उपयागे की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी।"

अतः आपसे अनुरोध है कि यदि विद्यालयो मे ही खाना पकाने के लिए निर्णय लिया जाता है तो उक्त नियमानुसार विद्यालयो को सभी आवश्यक सामान उपलब्ध करवाए तथा निदेशालय से आदेश प्राप्त होने पर विद्यालयो मे मिड डे मील नियमित रूप से बनवाना सुनिश्चित करे।

महाप्रबंधक मिड-डे-मील
कृते महानिदेशक मौलिक शिक्षा,
हरियाणा, पंचकुला